न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 2/2021

01. अयोध्याबाई पुत्री स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
02. ओमप्रकाश पुत्र स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
03. नन्दलाल पुत्र स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
04. मुकुटबिहारी पुत्र स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
05. रामचरण पुत्र स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
06. हजारीलाल पुत्र स्व. चन्दालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल

......वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री भंवर सिंह गौड़

दायरा दिनांक: 11.01.2021 निर्णय दिनांक : 26.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 184 खसरा नं0 1430 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 1498/1542 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 773 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 949 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 953 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 954 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 958 रकबा 0.25 वाके कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादीगण के वल्दीयत का नाम चन्दालाल के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज हो रहा है। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम चन्दालाल है। जिसको वादीगण रामचन्द्र के स्थान पर चन्दालाल दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण के पिता का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में चन्दालाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपने पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में रामचन्द्र के स्थान पर चन्दालाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान चन्दालाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 11.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल की ओर से पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.10.2021 के अनुसार रामचन्द्र को चन्दालाल के नाम से भी

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

...ना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति रामचन्द्र व चन्दालाल एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादीगण की वल्दीयत का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की ओर से पटवारी की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादीगण हजारीलाल, ओमप्रकाश एवं मुकुटबिहारी के आधार पर आराजी खाता संख्या 184 खसरा नं0 1430 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 1498/1542 रकबा 1.42 है0, खसरा नं0 773 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 949 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 953 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 954 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 958 रकबा 0.25 वाके कुल किता 7 कुल रकबा 2.34 है0 ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीगण के पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पिता के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प भटवाडा मजमेंआम में सुनाया गया।

उप(प्रद्युम्न सिंह गुर्जर)
मांगरोउपखण्ड अधिकारी)
मांगरोल

Scanned by CamScanner